(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.01.2022 का कार्यवृत।

मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स खनन इकाई, क्षेत्रफल 26.6767 हैक्टेयर, खनन पट्टा संख्या 01/76, निकट ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर, खनिज सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रति वर्ष (ROM) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जन सुनवाई दिनांक 12.01.2022 का कार्यवाही विवरण।

मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स (सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन खनन इकाई) खनन पट्टा संख्या 01/76, खनन क्षेत्रफल 26.6767 हैक्टेयर, निकट ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर में सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन, उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रति वर्ष (ROM) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जन सुनवाई दिनांक 12.01.2022 को अपरान्ह 2.30 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर, तहसील वैर, जिला भरतपुर में श्री रघुनाथ खटीक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (जिला कलक्टर भरतपुर के प्रतिनिधि) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, भरतपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई।

जन सुनवाई की सूचना समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "जयपुर महानगर टाइम्स" में दिनांक 07.12.2021 को प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., भरतपुर ने अवगत कराया कि यह जन सुनवाई मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स, ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर में स्थित सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन, उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री झरवाल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, एवं पधारे हुए समस्त ग्राम वासियों का अभिनन्दन किया एवं जन सुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जन सुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है। श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक मे उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियाँ, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदाता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्व प्रथम पूर्व वार्डपंच श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हेतराम निवासी रायपुर द्वारा बताया गया कि हमारे विद्यालय में आज तक इस तरह की कोई भी सुविधा नही मिली है जो इन्होने प्रेजेन्टेशन में बताई है। इसके प्रत्युत्तर में मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के तकनीकी सलाहकार ने बताया कि पर्यावरण स्वीकृति मिलने के पश्चात् प्रेजेन्टेशन के दौरान बताई गई सुविधाऐं CSR के तहत आस–पास के क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जायेंगी।

तत्पश्चात् श्री उदयसिंह पोहिया, सरपंच प्रतिनिधि, निवासी ग्राम रायपुर ने बताया कि इस क्षेत्र में केवल मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के द्वारा ही धूल कणों की रोकथाम हेतु पानी का छिडकाव किया

दीपेन्द्र
दीपेन्द्र झरवाल
क्षेत्रीय अधिकारी रा. प्र. नि. म.
भरतपुर (राज.)

1

जाता है। यदि इस खनन परियोजना को नियमों के तहत चालू किया जाये तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

इसके बाद श्री विजयभान पुत्र श्री दरोगा, निवासी ग्राम रायपुर द्वारा पूछा गया परियोजना में 150 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है अतः सुनिश्चित करें कि यह रोजगार के अवसर क्षेत्रीय लोगों को दिये जाये। इसके प्रत्युत्तर में मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के तकनीकी सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक ने आश्वस्त किया कि खनन परियोजना में क्षेत्रीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सुझाव दिया गया कि खनन परियोजना में अधिक से अधिक स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार दिया जावे। जिस पर परियोजना प्रस्तावक ने अपनी सहमति प्रदान की।

इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, वैर, भरतपुर ने आमजन को बताया कि उपरोक्त खनन परियोजना में सिलिका सेण्ड के साथ मैसनरी स्टोन का खनन कार्य किया जायेगा जिसके लिये आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति हेतु यह जनसुनवाई रखी गई है। खनन कार्य से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव अथवा प्रदूषण के बारे में कोई सुझाव अथवा आपत्ति हो तो बताये।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी CSR के अन्तर्गत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैं। जिसके तहत गॉव की दो छात्राओं का खो खो खेल से राष्ट्रीय टीम में चयन होने पर उन्हें 11000–11000 रूपये का पुरस्कार दिया गया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. भरतपुर द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में उपरोक्त खनन इकाई कब से चालू है। इसके जबाव में परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त खनन इकाई 1978 से चालू है।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वर्तमान में खनन पट्टे में स्थित पौधों की संख्या तथा आगामी वृक्षारोपण योजना, जल स्त्रोत, ब्लास्टिंग हेतु आवश्यक स्वीकृति तथा सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु खनन इकाई द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के बारे में पूछा। इस पर परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खनन क्षेत्र में 25–30% पौधारोपण किया हुआ है तथा आगामी समय में कुल 8800 पौधे लगाकर 33% पौधारोपण के नियम की पालना की जायेगी तथा पानी की पूर्ति टैंकरो द्वारा बाहर से की जायेगी एवं खनन इकाई में कोई भी वोरवेल नहीं है। सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु मजदूरों को आवश्यक मास्क आदि उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति के इस परियोजना के बारे में कोई सुझाव या शिकायत हो तो बताये। अन्तः में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

दीपेन्द्र

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

(रधुनाथ खटीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.01.2022 का कार्यवृत।

मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स खनन इकाई, क्षेत्रफल 26.6767 हैक्टेयर, खनन पट्टा संख्या 01/76, निकट ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर, खनिज सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रति वर्ष (ROM) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जन सुनवाई दिनांक 12.01.2022 का कार्यवाही विवरण।

मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स (सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन खनन इकाई) खनन पट्टा संख्या 01/76, खनन क्षेत्रफल 26.6767 हैक्टेयर, निकट ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर में सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन, उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रति वर्ष (ROM) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जन सुनवाई दिनांक 12.01.2022 को अपरान्ह 2.30 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर, तहसील वैर, जिला भरतपुर में श्री रघुनाथ खटीक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (जिला कलक्टर भरतपुर के प्रतिनिधि) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, भरतपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई।

जन सुनवाई की सूचना समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' एवं ''जयपुर महानगर टाइम्स'' में दिनांक 07.12.2021 को प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., भरतपुर ने अवगत कराया कि यह जन सुनवाई मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स, ग्राम गोठरा, तहसील वैर, जिला भरतपुर में स्थित सिलिका सैण्ड एवं मैसनरी स्टोन, उत्पादन क्षमता 10,48,950 टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री झरवाल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, एवं पधारे हुए समस्त ग्राम वासियों का अभिनन्दन किया एवं जन सुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जन सुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है। श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक मे उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियॉ, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदाता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्व प्रथम पूर्व वार्डपंच श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हेतराम निवासी रायपुर द्वारा बताया गया कि हमारे विद्यालय में आज तक इस तरह की कोई भी सुविधा नही मिली है जो इन्होने प्रेजेन्टेशन में बताई है। इसके प्रत्युत्तर में मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के तकनीकी सलाहकार ने बताया कि पर्यावरण स्वीकृति मिलने के पश्चात् प्रेजेन्टेशन के दौरान बताई गई सुविधाऐं CSR के तहत आस–पास के क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जायेंगी।

तत्पश्चात् श्री उदयसिंह पोहिया, सरपंच प्रतिनिधि, निवासी ग्राम रायपुर ने बताया कि इस क्षेत्र में केवल मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के द्वारा ही धूल कणों की रोकथाम हेतु पानी का छिडकाव किया

11

दीपेन्द्र
दीपेन्द्र झरवाल
क्षेत्रीय अधिकारी रा. प्र. नि. मं.
भरतपुर (राज.)

जाता है। यदि इस खनन परियोजना को नियमों के तहत चालू किया जाये तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

इसके बाद श्री विजयभान पुत्र श्री दरोगा, निवासी ग्राम रायपुर द्वारा पूछा गया परियोजना में 150 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है अतः सुनिश्चित करें कि यह रोजगार के अवसर क्षेत्रीय लोगों को दिये जाये। इसके प्रत्युत्तर में मैसर्स विमलेश सिलिका सैण्ड माइन्स के तकनीकी सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक ने आश्वस्त किया कि खनन परियोजना में क्षेत्रीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सुझाव दिया गया कि खनन परियोजना में अधिक से अधिक स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार दिया जावे। जिस पर परियोजना प्रस्तावक ने अपनी सहमति प्रदान की।

इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, वैर, भरतपुर ने आमजन को बताया कि उपरोक्त खनन परियोजना में सिलिका सेण्ड के साथ मैसनरी स्टोन का खनन कार्य किया जायेगा जिसके लिये आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति हेतु यह जनसुनवाई रखी गई है। खनन कार्य से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव अथवा प्रदूषण के बारे में कोई सुझाव अथवा आपत्ति हो तो बताये।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी CSR के अन्तर्गत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैं। जिसके तहत गॉव की दो छात्राओं का खो खो खेल से राष्ट्रीय टीम में चयन होने पर उन्हें 11000–11000 रूपये का पुरस्कार दिया गया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. भरतपुर द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में उपरोक्त खनन इकाई कब से चालू है। इसके जबाव में परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त खनन इकाई 1978 से चालू है।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वर्तमान में खनन पट्टे में स्थित पौधों की संख्या तथा आगामी वृक्षारोपण योजना, जल स्त्रोत, ब्लास्टिंग हेतु आवश्यक स्वीकृति तथा सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु खनन इकाई द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के बारे में पूछा। इस पर परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खनन क्षेत्र में 25–30% पौधारोपण किया हुआ है तथा आगामी समय में कुल 8800 पौधे लगाकर 33% पौधारोपण के नियम की पालना की जायेगी तथा पानी की पूर्ति टैंकरो द्वारा बाहर से की जायेगी एवं खनन इकाई में कोई भी वोरवेल नहीं है। सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु मजदूरों को आवश्यक मास्क आदि उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति के इस परियोजना के बारे में कोई सुझाव या शिकायत हो तो बताये। अन्तः में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

दीपेन्द्र

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

(रघुनाथ खटीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

दिनांक 12/01/2022 को मैसर्स विमलेश [illegible]
[illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु [illegible]
में उपस्थित नागरिकों/अधिकारियों का विवरण:-
(मैसर्स विमलेश सिमला सैण्ड माइन्स, M.L. No. 01/ 16,
निकट ग्राम गोठरा, तहसील बैर, जिला भरतपुर (राज.)

क्र.सं.	नाम	गाँव	हस्ताक्षर
1.	Deependra Jharwal, RO RSPCB, BTP		दीपेन्द्र
2	Raghunath ADM, BTP		[illegible]
3.	मुनिदेव यादव SDM	बैर	[illegible]
4.	P. R. Verma, M.E. Mining Deptt	[illegible]	[illegible]
5.	D.P.S. Meena SO, RPCB	SO, RPCB	DPS Meena
6	Sanjeev Kumar Singhal	APO	[illegible]
7.	DEVENDRA KUMAR	गोठरा	[illegible]
8	रामवीर	रायपुर	रामवीर
9	महेश (मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक)	Guttla	[illegible]
10	रामवतार	रायपुर	[illegible]
11	भागचंद	रायपुर	

	सागरमल ...	गोठरा	
	विष्णु धाकड़	गोठरा	[signature]
13	शिवसिंह	शिवसिंह रायपुर	[signature]
14	लक्ष्मणसिंह	रायपुर	[signature]
15	सौताराम	रायपुर	[signature]
16	तेजसिंह धाकड़	गोठरा	तेजसिंह
17	श्रीमाराम	रायपुर	श्रीराम
18	राहुलसिंह S/o श्री जगनसिंह जाति गूजर	रायपुर	[signature]
19	अजयसिंह गुर्जर	रायपुर	[signature]
20	विष्णु कुमार	रायपुर	[signature]
21	कृष्णकान्त	मोरवरौली	[signature]
22	कल्लूराम	गोठरा	
23	देवराज	रायपुर	ओमप्रकाश
24	लक्ष्मणसिंह	रायपुर	
25	कुलदीप	रायपुर	
26	लालाराम	रायपुर	
27	ओमप्रकाश	रतनपुरा	
28			

	नाम	गांव	
29	लालसिंह [illegible]	कोट पहीवा	[illegible]
30	नैनसिंह	रामपुर	
31	मूर्तिनारायण	[illegible]	[illegible]
32	रणजीत [illegible]	[illegible]	[illegible]
33	उदयसिंह	रामपुर	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	
35	हुसमन	रामपुर	
36	सोनी	रतनपुरा	
37	[illegible]	गोठडा	
38	पोतराम	गोठडा	
39	हरकेश	रामपुर	हरकेश
40	नारायनसिंह	रामपुर	
41	करनसिंह	रामपुर	
42	वीरेन्द्र	रामपुर	
43	राजेश	रामपुर	
44	विरमसिंह	रामपुर	
45	रजेन	नगला गोठरा	
46.	नवनीत कुमार	नगला गोठरा	

	[illegible]	[illegible]	
48	[illegible]	गोठड़ा	[illegible]
49	[illegible]सिंह	गोठरा	
50	[illegible]सिंह	गोठरा	
51	भीमसिंह	नगला गोठरा	[illegible]
52	रामासिंह	नगला-गोठरा	रामासिंह
53	वीरेन्द्र सिंह	बेर	[illegible]
54	विजयसिंह	रायपुर	विजयसिंह
55	नरेन्द्र सिंह नगला	EIA consultant	[illegible]
56	[illegible] कुमार [illegible]	Gutira	[illegible]
57	Vikash Jangir	Environment Scientist	[illegible]
58	[illegible]सिंह	रायपुर	
59	[illegible]	रायपुर	[illegible]
60	Maharaj Singh	RYPUR	
61	naam singh	RaiPUR	naam s[illegible]